



प्रेसनोट, दिनांक 20.07.2025

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव

सोशल मीडिया पर अश्लील/अभद्र वीडियो बनाकर पोस्ट करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अश्लील/अभद्र वीडियो बनाकर पोस्ट करने वाले तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गाली गलौज कर रील बनाकर समाज में अश्लीलता फैलाने के सन्दर्भ में दिनांक 19.07.2025 को थाना अजगैन पर मु0अ0स0 300/2025 धारा 296(बी) BNS व 67 IT ACT बनाम 01.राहुल पुत्र राम सजीवन निवासी कुशुम्भी थाना अजगैन उन्नाव (ID नं0 Rahul_Jaykar_3535) 02.हिमांशु पुत्र शिव कुमार निवासी कुशुम्भी थाना अजगैन उन्नाव 03.श्याम पुत्र देवी चरण निवासी खन्ना पुरवा थाना अचलगंज उन्नाव (ID नं0 Shyam_bhai_3535) 04.अमन पुत्र किशन निवासी सलेमपुर भाड़ी थाना अजगैन उन्नाव पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 20.07.2025 को उ0नि0 श्री मो0 कल्लन मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्तगण 01. राहुल पुत्र राम सजीवन 02. हिमांशु पुत्र शिव कुमार 03. श्याम पुत्र देवी चरण उपरोक्त को गिरफ्तार कर धारा 170/126/135 BNSS की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.राहुल उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र राम सजीवन निवासी ग्राम कुसुम्भी थाना अजगैन जनपद उन्नाव ।
- 2.हिमांशू उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम कुसुम्भी थाना अजगैन जनपद उन्नाव ।
- 3.श्याम जी उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र देवी चरण निवासी ग्राम कुसुम्भी थाना अजगैन जनपद उन्नाव ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री मो0 कल्लन
- 2.हे0का0 संजेश कुमार





प्रेसनोट, दिनांक 20.07.2025

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 20.07.2025 को उ०नि० श्री कृष्ण मोहन मिश्रा मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्त लल्लू पुत्र रामनाथ पासी निवासी ग्राम परागीखेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव सम्बन्धित केस नं०- 1876/23 अ०सं०- 246/2023 धारा- 60/63 आब०अधि० को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

लल्लू पुत्र रामनाथ पासी निवासी ग्राम परागीखेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री कृष्ण मोहन मिश्रा
2. हे०का० अशोक कुमार यादव

